

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम सं. 35 रान् 1959) की धारा 3 को उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा उप नगर नियोजक, भरतपुर क्षेत्र, भरतपुर को सरमथुरा (जिला-धौलपुर) के नगरीय क्षेत्र जिसमें निम्नलिखित राजस्व ग्राम सम्मिलित हैं, का सिविक सर्वे करने एवं क्षितिज वर्ष 2041 तक के लिए मार्टर प्लान बनाने हेतु नियुक्त करती है:-

राजस्व ग्रामों के नाम

क्र. सं.	राजस्व ग्राम का नाम हिन्दी में	राजस्व ग्राम का नाम अंग्रेजी में
1.	सरमथुरा-01	SARMATHURA-1
2.	सरमथुरा-02	SARMATHURA-2
3.	गढ़ाखों	GADAKHOH
4.	गेंदापुरा	GAINDAPURA
5.	पदमपुरा	PADAMPURA
6.	बरईपुरा	BARAIPURA
7.	मौठियापुरा	MAUTHIYAPURA

राज्यपाल की आज्ञा से


 (मनीष गोयल)
 संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
राजस्थान सरकार, जयपुर।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
- निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- जिला कलकटर, धौलपुर।
- मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
- अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पूर्व) राजस्थान, जयपुर।
- वरिष्ठ नगर नियोजक, जयपुर जोन, जयपुर।
- उप नगर नियोजक, भरतपुर क्षेत्र, भरतपुर।
- अधिशापी अधिकारी, नगर पालिका, सरमथुरा (जिला-धौलपुर)।
- वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अक दिनांक में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाये जाने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलाउ किये जाने हतु।
- रक्षित पत्रालंबी।

Sd.

उप नगर नियोजक